भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5101

(24 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण सड़कों की मरम्मत

5101. श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल:

श्री जितेंद्र दोहरे:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के दौरान क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण सड़कों की मरम्मत में कोई विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर फतेहपुर और इटावा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में प्रभावित ग्रामीण समुदायों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार ग्रामीण सड़कों की मरम्मत संबंधी कार्यों की गुणवत्ता की जांच किस प्रकार करती है तथा इस प्रयोजनार्थ आवंटित निधि का उचित एवं पारदर्शी उपयोग किस प्रकार सुनिश्चित करती है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम 10 वर्ष की डिज़ाइन आयु को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत निर्मित सड़कों का रखरखाव राज्य सरकारों का दायित्व है और सभी सड़क निर्माण कार्यों के लिए मानक बोली दस्तावेज़ के प्रावधानों के तहत, उसी ठेकेदार के साथ निर्माण अनुबंध के साथ-साथ पाँच वर्षीय प्रारंभिक रखरखाव अनुबंध भी किया जाता है। इस अनुबंध के निर्वहन हेतु रखरखाव निधि का प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट में किया जाना अपेक्षित है तथा इसे राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास

एक पृथक रखरखाव खाते में रखा जाना आवश्यक है। इस पाँच वर्षीय निर्माण पश्चात् रखरखाव अवधि की समाप्ति पर, पीएमजीएसवाई सड़कों को समय-समय पर चक्रानुसार नवीकरण सहित पाँच वर्षीय रखरखाव सहित क्षेत्रीय रखरखाव अनुबंधों के अंतर्गत लाया जाना आवश्यक है। राज्यों में पीएमजीएसवाई योजना की प्रगति की निगरानी एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के नोडल विभागों के साथ नियमित अंतराल पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें (आरआरएम) आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमजीएसवाई सहित ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों के वास्तविक निरीक्षण एवं सत्यापन हेतु मंत्रालय द्वारा क्षेत्र अधिकारियों के दौरे भी आयोजित किए जाते हैं।

राज्य द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कार्यों की मरम्मत में कोई विलंब नहीं है।

(ग) और (घ) कार्यक्रम दिशानिर्देशों के पैरा 15.1 के अनुसार, सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है जो कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार, पिछले वर्ष के दौरान फतेहपुर और इटावा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में पीएमजीएसवाई कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में ग्रामीण समुदायों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) पीएमजीएसवाई निर्माण के दौरान सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए त्रि-स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन तंत्र की परिकल्पना करता है। इस तंत्र की पहली श्रेणी कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) स्तर पर आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण है। द्वितीय श्रेणी को राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों (एसक्यूएम) के माध्यम से राज्य स्तर पर स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी के रूप में संरचित किया गया है, जिसमें पीएमजीएसवाई कार्यों के नियमित निरीक्षण का प्रावधान की परिकल्पना की गई है। तृतीय श्रेणी केंद्रीय स्तर पर स्वतंत्र निगरानी तंत्र है। इस श्रेणी के अंतर्गत, पीएमजीएसवाई सड़कों के निरीक्षण के लिए यादृच्छिक रूप से चयनित स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों (एनक्यूएम) को लगाया जाता है। राज्य गुणवत्ता मॉनीटरों द्वारा संतोषजनक किंतु सुधार आवश्यक (एसआरआई) और असंतोषजनक (यू) श्रेणी वाले सड़क कार्यों की की गई कार्रवाई रिपोर्ट की निगरानी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटरों की टिप्पणियों के आधार पर संतोषजनक किंतु सुधार आवश्यक (एसआरआई) और असंतोषजनक (यू) ग्रेड वाले कार्यों की की कार्रवाई रिपोर्ट की निगरानी और इसका निष्पादन राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) द्वारा की जाती है।

इसके अलावा, पीएमजीएसवाई में उपयोग किए जाने वाले डिजिटल शासन और दक्षता प्रोटोकॉल मंत्रालय को पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत सड़कों की निगरानी करने में सहायता करते हैं। विवरण निम्नानुसार है:

ओएमएमएएस और पीएमआईएस: ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, और परियोजना निगरानी और सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) परियोजना प्रगति की वास्तविक समय में ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है।

एसएनए स्पर्श: एसएनए स्पर्श निधि प्रवाह तंत्र में परिवर्तन राज्यों को निधि "यथासमय" जारी करना सुनिश्चित करता है।

ई-मार्ग: नियमित रखरखाव ई-मार्ग के माध्यम से संसाधित किया जाता है, जहां भुगतान प्रदर्शन-आधारित रखरखाव अनुबंधों (पीबीएमसी) पर निर्भर होती हैं।

जीपीएस ट्रैकिंग: मशीनरी पर जीपीएस-सक्षम वाहन ट्रैकिंग प्रणाली (वीटीएस) के क्रियान्वयन से साइट पर निर्माण गतिविधि की निगरानी करती है।
